ग्रामीण सेवा शिविर 2025

राजस्थान–सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना जिला सीकर (राज.)

1. ओमप्रकाश पुत्र मूलचन्द जाति बलाई निवासी नापावाली तहसील नीमकाथाना जिला सीकर राज.।

– वादी

बनाम

1. तहसीलदार नीमकाथाना जिला सीकर राज.।

–प्रतिवादी

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

मुकदमा नम्बर 725 **/2025**

जीसीएमएस नं0 2025/1365

आदेश

दिनांक - 14/11/2025

मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार नीमकाथाना एवं संलग्न दस्तावेजात तन **ग्राम नापावाली तहसील नीमकाथाना के भूमि खाता संख्या 65 में वादी के पिता का गलत दर्ज नाम "ओमप्रकाश पुत्र मूला" व "लिछमी पत्नी मूला" के स्थान पर सही एवं वास्तविक नाम "ओमप्रकाश पुत्र मूलचंद" व "लिछमी पत्नी मूलचंद" दुरूस्त किया जाने का आदेश दिया जाता हैं।** रिपोर्ट तहसीलदार नीमकाथाना आदेश का भाग रहेगा। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो तथा तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

उक्त आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रा से जारी किया गया।

मुद्रा

उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना (राज.)

(राजवीर सिंह यादव)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना

डिकी मुकद्दमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत **उपखण्ड अधिकारी** मुकाम **नीमकाथाना (सीकर)**
बइजलास **राजवीर सिंह यादव R.A.S.**

1. ओमप्रकाश पुत्र मूलचन्द जाति बलाई निवासी नापावाली तहसील नीमकाथाना जिला सीकर राज.।

–वादी

बनाम

1. तहसीलदार नीमकाथाना जिला सीकर राज.।

–प्रतिवादी

दावा बाबत घोषणा व दुरूस्ती रिकार्ड
मुकदमा नं.725 सन् 2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू **राजवीर सिंह यादव आर.ए.एस** व हाजिरी **वादी स्वयं** मिनजानिब मुद्दई रूबरू .... मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि **मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार नीमकाथाना एवं संलग्न दस्तावेजात तन ग्राम नापावाली तहसील नीमकाथाना के भूमि खाता संख्या 65 में वादी के पिता का गलत दर्ज नाम "ओमप्रकाश पुत्र मूला" व "लिछमी पत्नी मूला" के स्थान पर सही एवं वास्तविक नाम "ओमप्रकाश पुत्र मूलचंद" व "लिछमी पत्नी मूलचंद" दुरूस्त किया जाने का आदेश दिया जाता हैं।रिपोर्ट तहसीलदार नीमकाथाना आदेश का भाग रहेगा। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो**

.निज.....................मुबलिग...बाबत...खर्चा इस मुकदमें के मय सूद बशरह.........फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ....का अदा करें।

बसव्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज **तारीख १५ माह ११ सन् 2025** को जारी की गई।

मुहर (उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना (सीकर))

दस्तखत.........
ओहदा.........

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय		
बाबत इजराय			हुक्मनामा		
हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान			मीजान		

खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिए।